

# कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल-



spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 35/2025

## प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 30.01.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 30.01.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

**\*01.थाना-जहानागंज:-गोकशी करने वाले 03 अभियुक्त, अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार\***

**\*गिरफ्तारी का विवरण:-\***

आज दिनांक 30.01.25 को व0उ0नि0 हृदयानन्द पाठक मय हमराह को मुखबिर से सूचना मिली की बजहा पुलिया की ओर एक पिकअप से गोतस्कर एक वाहन में कुछ प्रतिबंधित पशु को लादकर गैर जनपद ले जा रहे हैं। प्राप्त सूचना की खबर जरिये दूरभाष थाने पर दिया गया जहाँ से अन्य पुलिस बल के साथ बजहा पुलिया के पास पहुँचकर समय करीब 5.30 बजे 03 अभियुक्तों 01. बिपिन सिंह पुत्र डबलू सिंह निवासी महुआमुरारपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष 02. अरमान पुत्र स्व0 परवेज उर्फ अनीष निवासी मीरपुर मझहुआ थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र 19 वर्ष 03. इबरान पुत्र स्व0 शाकिर अहमद निवासी मीरपुर मझहुआ थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त इबरान पुत्र स्व0 शाकिर अहमद के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक पिकप वाहन, 05 राशि प्रतिबंधित पशु, एक डिजायर कार जो इमरान पुत्र शव शाकिर निवासी मीरपुर मझुवा थाना मधुबन जनपद मऊ के नाम से दर्ज है, बरामद किया गया। बरामद पिकप वाहन संख्या UP 60 AT 8071 को चेक किया गया तो उक्त वाहन महबूब आलम पुत्र शाकिर अहमद निवासी फेफना जनपद बलिया के नाम के दर्ज है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 33/25 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता नि0अधि0 व 3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम 1. इबरान पुत्र स्व0 शाकिर अहमद निवासी मीरपुर मझहुआ थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र 25 वर्ष 2. बिपिन सिंह पुत्र डबलू सिंह निवासी महुआमुरारपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष 3. अरमान पुत्र स्व0 परवेज उर्फ अनीष निवासी मीरपुर मझहुआ थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र 19 वर्ष 4. महबूब आलम पुत्र शाकिर अहमद निवासी फेफना जनपद बलिया, 5. इमरान पुत्र शिव शाकिर निवासी मीरपुर मझुआ थाना मधुबन जनपद मऊ, 6. एक अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

**\*पंजीकृत अभियोग:-\***

1. मु0अ0स0 33/25 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता नि0अधि0 व 3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट

**\*गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-\***

1. इबरान पुत्र स्व0 शाकिर अहमद निवासी मीरपुर मझहुआ जनपद थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र 25 वर्ष
2. बिपिन सिंह पुत्र डबलू सिंह निवासी महुआमुरारपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष
3. अरमान पुत्र स्व0 परवेज उर्फ अनीष निवासी मीरपुर मझहुआ जनपद थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र 19 वर्ष

**\*बरामदगी का विवरण:-\***

01. 05 राशि गोवंश
02. 01 अदद तमंचा 315 बोर
03. 01 अदद .315 बोर जिन्दा कारतूस
04. 01 अदद पिकप गाडी
05. एक अदद डिजायर गाडी।



**\*02.थाना-कोतवाली:-गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार\***

**\*पूर्व की घटना/इतिहास:-\***

➡ वादी इसरार अहमद खान पुत्र अब्दुल जब्बार खान उम्र 45 वर्ष सा0 गौरडीहा आरमा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर तहरीर दिया गया कि मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। मेरी गाडी नं0 UP50AK5773 सुपर स्पलेण्डर आज दिनांक 29.05.2024 को लगभग 2.00 बजे दोपहर में कचहरी गेट नं0 4 से गायब हो गयी है। जिस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 331/24 धारा 379 पंजीकृत किया गया।

➡ वादी चन्द्रमा राम ग्राम रसुलपुर थाना- शादियाबाद जिला गाजीपुर द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरी गाडी स्प्लेंडर प्लस जिसका नम्बर (UP61AR0695) है (ब्लैक) जो कि मुकेरिगंज गली से गाडी चोरी हो गयी है, दिनांक-05/06/2024 समय 4 PM -5 PM के बीच की घटना है। इस सम्बन्ध में मु0अ0सं0 341/24 धारा 379 भादवि दि. 06.06.24 को दर्ज किया गया।

➡ वादी उमेश पुत्र लल्लन राम साकिन मुहल्ला-कुन्दीगढ़ टोला, थाना कोतवाली, तहसील-सदर, जिला-आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 08.04.2024 को समय लगभग 8:35 बजे आजमगढ़ चिल्ड्रेन हास्पिटल में अपनी भतीजी जो एडमिट थी को देखने गया था और अपनी स्पलेण्डर प्लस मोटर साइकिल जिसका पंजियन सं0-UP 50 CC 4308 जो को हास्पिटल के बाहर खड़ा किया था। हास्पिटल में से वापस बाहर आने पर मेरी गाडी वहाँ नहीं थी। हास्पिटल के सीसीटीवी कैमरे में दिखा कि एक आदमी मेरी गाडी ले जा रहा है, जिसे मैं नहीं जानता। उक्त के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 210/2 धारा 379 भादवि दि. 13.4.24 को पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में जाँच के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त श्याम नारायण सिंह पुत्र स्व0 फूलचन्द्र निवासी करखिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ हाल पता सिंह एण्ड ब्रदर्स ट्रेडिंग कम्पनी हाफिजपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 70 वर्ष का नाम प्रकाश में आया। जिसके विरुद्ध श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त गैंगेस्टर एक्ट में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 45/25 धारा 3(1),2(b)i यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया।

**\*गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-\***

आज दिनांक 30.01.2025 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित गैंगेस्टर एक्ट अभियुक्त श्याम नारायण सिंह पुत्र स्व0 फूलचन्द्र निवासी करखिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ हाल पता सिंह एण्ड ब्रदर्स ट्रेडिंग कम्पनी हाफिजपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 70 वर्ष को अभियुक्त के घर ग्राम हाफिजपुर से समय करीब 12.24 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

**\*अभियुक्त का विवरण:-\***

1. श्याम नारायण सिंह पुत्र स्व0 फूलचन्द्र निवासी करखिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ हाल पता सिंह एण्ड ब्रदर्स ट्रेडिंग कम्पनी हाफिजपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 70 वर्ष

**\*पंजीकृत अभियोग:-\***

01. मु0अ0सं0 45/25 धारा 3(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

**\*आपराधिक इतिहास:-\***

1. मु0अ0सं0 331/24 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 341/24 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 210/24 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 420/24 धारा 411, 413, 414, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 279/24 धारा 120-B, 379, 411, 414 थाना मुबारकपुर आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 45/25 धारा 3(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़



**\*03.थाना-मेंहनगर:-अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार\***

**\*गिरफ्तारी का विवरण:-\***

आज दिनांक 30.01.2025 को व0उ0नि0 रंजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना सूचना पर एक व्यक्ति चंद्रलोक यादव पुत्र रामअवध यादव उम्र- करीब 25 वर्ष ग्राम असौसा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को जिगनी से समय करीब 10.55 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 41/2025 धारा 3/25 आर्म्स ACT बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-\***

01. चंद्रलोक यादव पुत्र रामअवध यादव उम्र- करीब 25 वर्ष ग्राम असौसा थाना मेंहनगर जनपद

**\*बरामदगी का विवरण:-\***

01. एक अदद तमंचा
02. दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

**\*पंजीकृत अभियोग:-\***

01.मु0अ0सं0 41/2025 धारा 3/25 ACT थाना मेंहनगर आजमगढ़

